

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर १ हाल केम्प उज्जैन के समक्ष १

श्रुत क्रमांक :

12015

512-11-15

(12)

श्री सुनील प्रिया
श्री सुनील प्रिया
26-2-15
अप काम 30-6-15
यह
26-2-15

1. दिनेश आत्मज स्व. जयरामजी आयु 42 वर्ष
धंधा - खेती
2. सुरेश आत्मज स्व. जयरामजी कश्यप आयु 36 वर्ष
धंधा - खेती दोनो कृषक सर्वे नं. 265 एवं
266/1 स्थित ग्राम बिंगलेश्वर जिला व
तहसील उज्जैन द्वारा - मुखत्यार आम -
कैलाश आत्मज स्व. जयरामजी कश्यप आयु 45 वर्ष
धंधा - खेती हाल निवासी - सर्वे नं. 265 एवं
266 /1 ग्राम बिंगलेश्वर तहसील व जिला उज्जैन

--- आवेदक

बिरुद्ध

1. श्रीमती सुमन चौकसे बत्नी बिनोद चौकसे
आयु - लगभग 60 साल सेवा निवृत्त
2. बिनोद चौकसे पिता मन्नुलाल चौकसे आयु
60 वर्ष धंधा - व्यापार दोनो निवासी गण
सत्यम बिहार ई. एस. आई. केम्पस नंदानगर
मं.नं. 40 इन्दौर
3. भैरूलाल पिता रामाजी आयु 50 वर्ष
धंधा - मजदूरी निवासी - 19 खातीपुरा
इंदौर ---अनावेदक गण

माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक
9-2-15 सामूहिक श्रुत क्रमांक 9-10अ -6 /12-13 नामांतरण से दुखी
व प्रभावित होकर रिबीजन अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण कीओर से सविनय रिबीजन का स्मृति लेख

अंदर अवधि प्रस्तुत है :-

श्रुत का संक्षिप्त विवरण

यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालयके सम्मुख अनावेदक क्रमांक 1 के नाम
से अनावेदक क्र. 2 ने तथा कथित कूट विक्रय लेख के आधार पर तात्कालिक

26/2/15

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R

512/II 115

जिला -

SJS

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 31.0.19 | <p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तय्यार उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 9/10-3-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 9.2.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलकत्ता उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.18 को कलकत्ता उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> | <p>(महेश/बन्द्र चौधरी) सदस्य</p> |